पंत्रावली संख्या

7506

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नौएडा) गाजियाबाद

श्रीमती/श्री/मे0 <u>St. PECPAR. 51714 8 2714 8 2714</u> <u>R-12 SLS 19 18184</u>

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक की संदर्भ में आपके प्रस्तावित अस्तावित अस्तवित अस्तावित अस्तवित अस्तवित अस्ति अस्तवित अस्तवित अस्ति अस्तवित अस्ति अस्ति

- 1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से कि कि तक वैध है।
- मानियत्रों की इस स्वीकृति से इस भुखण्ड से संवधित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टैड) नहीं माना जायेगा ।
- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
- यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जावेगा तो वह किसी विना आपित के देय होगा ।
- दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेगें कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टैड) न हो ।
- 6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
- 7. आवंटी द्वारी भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
- 8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीिफकेशन नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा । आंवटी तहरवाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहरवाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के वाद ही भृतल का निर्माण कार्य शुक्त करेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा ।
- 9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा ।
- सड़क पर अथवा वैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं वनारों जारोगें। वह कार्य अपनी ही भिम